9014

डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः R/1105/2015
दिनांकः 11/12/2015

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या भा॰सं॰–13/सत्तर–1–2015–16(101)/2015 दिनांक 24.11.2015 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या –F.9-8/2008 (C.P.P-I/PU) दिनांक 12.08.2015 में निर्गत दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य विधायिकाओं को सम्बन्धित विधान सभाओं के द्वारा अधिनियम पारित करा कर राज्य विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रो॰ यशपाल बनाम छत्तीसगढ सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल संसद ही पूरे देश के लिये कानून बना सकती है और राज्य विधान सभायें सम्बन्धित राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कानून बना सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा की उन्नति एवं समन्वय करने तथा शिक्षण, परीक्षा तथा शोध के स्तर को विनियमित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की शक्ति प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य के निजी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आफ कैम्पस/ अध्यतन केन्द्र और/ या दूरस्थ केन्द्र का संचालन कर रहे है एवं निजी विश्वविद्यालय जिन्हें ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक है, द्वारा ऐसा नही किया गया है तथा प्रदेश मे तथा प्रदेश के बाहर केन्द्रों का सचालन किया जा रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की यह नीति सार्वजनिक सूचना दिनांक 27 06.2013 द्वारा जनमानस की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बेवसाइट (www.ugc.ac.in) पर पोस्ट की गयी थी। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 16.04.2009 के माध्यम से राज्य सरकारों को सूचना प्रेषित की गयी है। जिसमें निम्न दिशा निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी हैः–

1. **No off- campus/study centre/outreach centre is established by your esteemed university outside the territorial jurisdiction of the state.**
2- **If you are a private university, even within the state off- campus/study centre /outreach centre should be established with the prior approval of the UGC as mandates in the UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private University) Regulations, 2003.**

शासन के उपरोक्त पत्र संख्या भा॰सं॰–13/सत्तर–1–2015–16 (101) /2015 दिनांक 24 11.2015 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2015 द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।

अतः सम्बन्धित उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. श्री बी॰बी॰ सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग–1, लखनऊ।
2. सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
3. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
4. उपकुलसचिव सम्बद्धन/अधीक्षक सम्बद्धन।
5. प्रभारी शैक्षिक विभाग।
6. एजेंन्सी 2015 को विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव